



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102022-239930
CG-DL-E-28102022-239930

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4852]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 28, 2022/कार्तिक 6, 1944

No. 4852]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2022/KARTIKA 6, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2022

का.आ. 5070(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5 ग और 5 ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप धारा (1) के उप वाक्य (iii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा, 'क्रिया विश्वविद्यालय, श्रीसिटी, चिट्ठूर, आंध्र प्रदेश (पैन: एएएफएके4100पी) को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप धारा (1) के उप वाक्य (iii) के उद्देश्य से 'सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकी अनुसंधान' में शोध के लिए 'विश्व विद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान' की श्रेणी के अंतर्गत अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से (अर्थात् पिछले वर्ष 2022-23 से) लागू होगी और तदनुसार आकलन वर्ष 2023-24 से 2027-2028 तक के लिए प्रयोज्य होगी।

[अधिसूचना संख्या. 118 / 2022/फा. सं. 203/13/2021-आईटीए-II]

रविन्द्र मैनी, निदेशक

स्पष्टीकरण ज्ञापन:- यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने पर किसी व्यक्ति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।